न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/37/2025	2025/221	03.06.2025	13.10.2025

1. निहाल सिंह चौधरी उर्फ निहाल पुत्र स्व0 श्री राजाराम, निवासी मालाखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. नायब तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान।

—असल रेस्पोडेण्ट्स

2. नेतराम पुत्र स्व0 श्री राजाराम,
3. बलवीर पुत्र स्व0 श्री राजाराम,
4. विजय सिंह पुत्र स्व0 श्री राजाराम,
5. फूल सिंह पुत्र स्व0 श्री राजाराम,
   निवासीयान मालाखेडा तहसील मालाखेडा, जिला अलवर राज0।

—तरतीबी रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरुद्ध नामा0 सं0 48 आदेश दिनांक 21.05.1992 नायब तहसीलदार मालाखेडा, जिला अलवर राज0।

उपस्थितः—
01—श्री गौरव शर्मा —वकील अपी0
02—श्री कृष्ण कुमार मीणा —वकील तर0 रेस्पो0
03—श्री दीपक मीणा, राजकीय अधिवक्ता —पैरोकार सरकार

—:निर्णयः—

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील विरूद्ध नायब तहसीलदार मालाखेड़ा के निर्णय दिनांक 21.05.1992 नामान्तकरण संख्या 48 स्वीकार किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपील हाजा आज्ञा दिनांक 21.05.1992 के खिलाफ पेश की जा रही है। अपीलांट उस वक्त नाबालिग था तथा बालिग होने के बाद भी अपीलांट को राजस्व अभिलेख में गलत नाम अंकित होने की जानकारी नहीं थी, क्योंकि अपीलांट को कभी राजस्व अभिलेख को देखने की जरूरत ही नहीं हुई। अब दिनांक 04.10.2024 को केसीसी कार्ड हेतु जब पटवारी हल्का से संपर्क किया तो अपीलांट को राजस्व अभिलेख में अपीलांट का नाम दर्ज नहीं होने व मातादीन नाम गलत दर्ज होने की जानकारी हुई जिस पर आलोच्य इंतकाल विरासत आदि की नकल हेतु आवेदन किया जो नकल दिनांक 08.10.2024 को सांयकाल मिली। वकील साहब से संपर्क किया तथा वकील साहब की सलाह पर अपील पेश कराने हेतु वकील साहब को नियुक्त किया तत्पश्चात् वकील साहब ने अपील तैयार करवाई और आज जानकारी की दिनांक 04.10.2024 से अपील हाजा बिना देरी के अंदर मियाद प्रस्तुत है। विलंब का समय माफ कराने हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र जेर दफा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत है।

नायब तहसीलदार मालाखेड़ा जिला अलवर की आलोच्य आज्ञा इंतकाल के खिलाफ अपील हाजा अदालत श्रीमान् के श्रवण योग्य है। अपीलांट के पिता श्री राजाराम पुत्र श्री उमराव लाल कौम जाट साकिन देह खातेदार की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी हाल खसरा नंबर 2772 व 2773 जो क्रमशः साबिक खसरा नंबर 1482 व 1483 से बने हैं, ग्राम मालाखेड़ा तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर (राज०) में स्थित है। अपीलांट के पिता श्री

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

राजाराम का स्वर्गवास होने के बाद जब अपीलांट के पिता की विरासत दर्ज हुई तो उस समय अपीलांट महज लगभग 14 वर्ष का नाबालिग बच्चा था तथा अपीलांट की नाबालिगी में पिता की विरासत का इंतकाल संख्या 48 दिनांक 26.05.1992 को नायब तहसीलदार मालाखेड़ा द्वारा स्वीकार किया गया किन्तु इंतकाल में अपीलांट के पिता का जो शजरा अंकित किया गया है, उसमें उनका एक पुत्र मातादीन दर्शाया गया है, जबकि अपीलांट के पिता राजाराम के मातादीन नाम का कोई पुत्र ही नहीं था। तरतीबी रेस्पोडेन्टान अपीलांट के खास भाई हैं तथा विरासत इंतकाल तरतीबी रेस्पोडेन्टान व अपीलांट की माता मु० सजन कौर के नाम सही प्रकार से दर्ज व स्वीकार किया गया किन्तु अपीलांट का नाम निहाल सिंह चौधरी के बजाय एक अलग नाम मातादीन दर्ज कर दिया गया, जो मातादीन के स्थान पर अपीलांट का नाम निहाल सिंह चौधरी दर्ज होना चाहिये था। इसलिए आलोच्य इंतकाल मातादीन नाम की सीमा तक निरस्त किए जाने या दीगर सूरत में दुरूस्त होकर मातादीन के स्थान पर निहाल सिंह चौधरी के नाम से दर्ज व स्वीकार किए जाने योग्य है। जिस हेतु यह अपील प्रस्तुत है।

अपीलांट के पिता के स्वर्गवास के समय अपीलांट की माता सजन कौर जीवित थी, जिनके नाम भी इंतकाल दर्ज मंजूर किया गया। इसके बाद अपीलांट की माता का स्वर्गवास हो गया, जिनकी विरासत का इंतकाल संख्या 4318 दर्ज मंजूर किया गया, जिसमें अपीलांट का नाम पुत्र के रूप में निहाल सही दर्ज किया हुआ है तथा अपीलांट व तर० रेस्पोडेन्टान, जो कि खास भाई हैं की दीगर आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड खाता संख्या नया 124, 125 वाके ग्राम मालाखेड़ा में तथा अपीलांट के आधार कार्ड, राशन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, पेनकार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, आदि में भी अपीलांट का नाम निहाल सिंह दर्ज है तथा अपीलांट स्व० राजाराम का ही पुत्र है और उनके मातादीन नाम का कोई पुत्र नहीं था, इसकी ताईद नगर पालिका मालाखेड़ा द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 09.10.2024 से भी होती है जो भी संलग्न कर पेश है।

अपीलांट का नाम आलोच्य इंतकाल के कारण राजस्व अभिलेख में दर्ज हो सकने के कारण अपीलांट किसान के रूप में सरकारी मिलने वाली सरकारी रियायतों, केसीसी लोन आदि सबसे पूरी तरह से महरूम हो गया है तथा अपीलांट के हकूक जायल होकर खतरे में पड़ने का भी अन्देशा हो गया है तथा अपीलांट को भारी आर्थिक परेशानी व नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। अपीलांट अपने पिता की विरासत से प्राप्त इंतकाल अंतर्गत आराजी पर तरतीबी रेस्पोडेन्टान अर्थात अपने भाईयों के साथ शामलात में काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। इसलिए तरतीबी रेस्पोडेन्टान अपील हाजा में आवश्यक पक्षकार हैं।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आज्ञा विरासत इंतकाल संख्या 48 दिनांक 21.05.1992 नायब तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर, कि जिसके द्वारा अपीलांट के पिता मृतक राजाराम के विरासत इंतकाल में पुत्र के रूप में दर्ज नाम मातादीन को कमलजन कराया जावे व इस हद तक इंतकाल निरस्त किया जावे तथा मातादीन के बजाय अपीलांट निहाल सिंह चौधरी उर्फ निहाल का नाम दर्ज कराते हुए इंतकाल विरासत मंजूर कराया जावे।

विद्वान वकील तरतीवी रेस्पोडेण्ट्स श्री कृष्ण कुमार मीणा ने बहस में अपीलाण्ट के तथ्यों का विरोध नहीं किया तथा स्वीकार किया कि अपीलाण्ट उनके सगा भाई है तथा नाम की त्रुटि राजस्व अभिलेख में हुई है। उन्होंने अपील को स्वीकार करने की सहमति जताई।

राजकीय अधिवक्ता श्री दीपक मीणा ने पैरवी में कहा कि मामले में कोई सरकारी हित प्रभावित नहीं हो रहा तथा यदि तथ्य सही हैं तो अपील स्वीकार की जा सकती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट्स द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.05.1992 के विरूद्व दिनांक 21.10.2024 को पेश की गयी है जो करीब 32 साल 05 माह के विलम्ब से पेश

अलवर (राज०)

की गई है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रूख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलीय प्रकरण से संबंधित इंतकाल के संबंध में तहसीलदार मालाखेड़ा से विवादित इंतकाल के वारिसान की जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार मालाखेडा द्वारा प्रस्तुत वारिसान जांच रिपोर्ट दिनांक 10.10.2025 के अनुसार इन्तकाल संख्या 48 उक्त प्रकरण से संबंधित नहीं है एवं मृतक राजाराम पुत्र उमराव जाति जाट के वारिसान में पुत्र (1) बलवीर सिंह, (2) नेतराम, (3) विजय/विजयसिंह, (4) फूलसिंह, (5) निहालसिंह हैं तथा मृतक की पत्नी सजनकौर/सजनकोर फौत हो चुकी है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं अधिवक्तागण की बहस पर चिन्तन–मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट द्वारा पेश दस्तावेज प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होते हैं। विशेष रूप से, तहसीलदार मालाखेडा द्वारा प्रस्तुत वारिसान जांच रिपोर्ट दिनांक 10.10.2025 पर विचार करने से स्पष्ट है कि मृतक राजाराम पुत्र उमराव (जाति जाट) के वारिसों में पुत्र हैं: (1) बलवीर सिंह, (2) नेतराम, (3) विजय/विजय सिंह, (4) फूल सिंह, (5) निहाल सिंह। साथ ही, मृतक राजाराम की पत्नी सजन कौर/सजन कोर का स्वर्गवास हो चुका है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इंतकाल संख्या 48 उक्त प्रकरण से संबंधित नहीं है, किंतु यह उल्लेख संभवतः किसी तकनीकी त्रुटि या पुराने रिकॉर्ड की असंगति के कारण है, क्योंकि अपील के तथ्यों एवं अन्य इंतकल (जैसे विरासत का इंतकाल संख्या 4318) से वारिसों की सूची मेल खाती है। अपीलाण्ट के अन्य सभी दस्तावेज– जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एवं नगर पालिका प्रमाणपत्र दिनांक 09.10.2024 में नाम "निहाल सिंह चौधरी" ही अंकित है। वारिसान रिपोर्ट अपीलाण्ट को राजाराम का पुत्र प्रमाणित करती है तथा मातादीन नाम का कोई उल्लेख नहीं है, जो अपीलाण्ट के दावे की पुष्टि करती है। उपरोक्त तथ्यों, अधिवक्तागण की बहस, दस्तावेजों एवं तहसीलदार की वारिसान रिपोर्ट के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मालाखेडा द्वारा तस्दीक किया गया नामांतकरण संख्या 48 दिनांक 21.05.1992 को निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मालाखेडा को प्रतिप्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि अपीलाण्ट के दस्तावेजों की विधिक जांच व परीक्षण कर तथा वारिसानों की विधिवत जांच कर एवं उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 13.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर,
अलवर (राज0)